

शीर्षक: केन्टीन संचालन हेतु
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर

बोली फार्म



बोली संदर्भ संख्या F-49(10)/SIHFW/Tender-Canteen/25-26/ 6674

दिनांक 22/07/25

बोली कार्य का नाम: राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर में केन्टीन संचालन करने हेतु बोली



केन्टीन टेण्डर

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

केन्टीन संचालन हेतु बोली आमंत्रण E-Tender

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशाला, मानव संसाधन विकास कार्यो इत्यादि में भाग लेने वाले प्रतिभागियों हेतु एवं संस्थान के छात्रावास व गेस्ट हाउस में रहने वाले प्रतिभागी/अतिथियों के लिये दिन व रात्रि (24X7) का भोजन एवं जलपान की व्यवस्था करना

बिड संदर्भ सं F-49(10)/SIHFW/Tender-Canteen/25-26/ 6674

दिनांक: 22/07/25

ऑनलाइन बोली आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	23.07.2025 सायं 4 बजे
बोली फार्म शुल्क, ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	:	01.08.2025 दोपहर 1 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. कार्यालय
ऑनलाइन बोली आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	:	01.08.2025 दोपहर 1 बजे तक
ई-टेण्डर तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	01.08.2025 दोपहर 3 बजे
बोली मूल्य	:	अनुमानित लागत रु 70.00 लाख
बोली फार्म शुल्क:	:	रु 1000/- (एस.एस.आई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)
ई टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क :	:	रु 1500/-
बोली प्रतिभूति राशि	:	रु 140000/- (एस.एस.आई फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(बोली प्रतिभूति राशि रुपये 140000/- (एक लाख चालीस हजार रु मात्र) एवं बोली फार्म शुल्क रुपये 1000 (एक हजार रु मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक STATE INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE, JAIPUR के पक्ष में देय हो एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 1500 (रु एक हजार पांच सौ मात्र) का डी.डी./बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो। (तीनों के डी.डी./बैंकर्स चैक अलग-अलग हों)

ई-टेण्डर तकनीकी बोली खोलने का स्थान व सम्पर्क हेतु पता
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706534, Email ID- sihfwraj@ymail.com

9
2

बोलीदाता के हस्ताक्षर :

बोली अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोली सूचना	4
2.	बोलीदाता हेतु निर्देश	5-10
3.	बोली फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A "	11-12
4.	बोली फार्म संलग्नक " B "	13-14
5.	बोली की शर्तें एवं नियम संलग्नक "C "	15-22
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D "	23
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	24
8.	भोजन (मीनू) की सूची संलग्नक "F "	25-27
9.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक G	28
10.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक H	29-31
11.	Format of BoQ संलग्नक "I"	32

नोट :- सम्पूर्ण बोली तथा **BOQ** देवनागरी लिपि हिन्दी के फोन्ट में लिखित है:-**DevLys 010** (कमअस्ले 010)

94

**राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान**

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,

दूरभाष नं. 2706496, 2701938 Email ID- sihfwraj@gmail.com

क्रमांक:- F-49(10)/SIHFW/Tender-Canteen/25-26/ 6674

दिनांक: 22/07/25

-: बोली सूचना :-

संस्थान स्थित केन्टीन संचालन के लिये होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटरिंग सेवा प्रदाता एवं अनुभवी ठेकेदार जो केन्टीन/मैस संचालन का अनुभव रखते हो, से निम्नलिखित सेवा कार्य आपूर्ति के लिये ई-बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित लागत लाखों में	धरोहर राशि रु. में	बोली फार्म राशि रु. में	ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रु. में	ई-टेण्डर बोली आवेदन डाउनलोड करने की तिथि	ई-टेण्डर बोली अपलोड कराने की अंतिम तिथि	ई-टेण्डर तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	24 घंटे X 7 दिन केन्टीन संचालन कार्य	70 लाख रुपये (1 वर्ष हेतु)	140000 (रु एक लाख चालीस हजार मात्र) का बैंकर्स चैक / डी.डी.	1000 बैंकर्स चैक / डी.डी.	1500 बैंकर्स चैक / डी.डी.	23.07.2025 शाम 4 बजे से	01.08.2025 दोपहर 01:00 बजे तक	01.08.2025 दोपहर 03:00 बजे

बोली फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-टेण्डर को अपलोड करने की अन्तिम तिथि 01.08.2025 दोपहर 01:00 बजे तक है। बोलीदाता फर्म को धरोहर राशि रुपये 1,40,000/- (रु एक लाख चालीस हजार) एवं बोली फार्म शुल्क रु 1000 (रु एक हजार) का डी डी अथवा बैंकर्स चैक जो STATE INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY WELFARE के पक्ष में देय हो एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रु 1500 (रु एक हजार पांच सौ) का डी डी / बैंकर्स चैक जो MD RISL के पक्ष में payable at Jaipur हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 01.08.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करा दें। धरोहर राशि, ई-टेण्डर, प्रक्रिया शुल्क एवं बोली फार्म राशि के बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए बोली के किसी भी भाग अथवा पूर्ण बोली को रद्द करने अथवा प्राप्त बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

बोलीदाता हेतु निर्देश

1. यह बोली होटल, रेस्टोरेन्ट व्यवसायी, केटरिंग सर्विस प्रदाता एवं अनुभवी केन्टीन मैस/ संचालकों, सेवा प्रदाताओं से आमंत्रित की जाती है।
2. बोली प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन बोलियों में भाग लेने वाले आवेदक बोली को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करवाएं।
3. बोली प्रपत्र को वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
4. वित्त विभाग के आदेश संख्या F.8(10)FD/SPFC/Misc/2022 दिनांक 27.01.2023 के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1500/- रु की राशि बोली शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिये।
5. धरोहर राशि बोली प्रपत्र में दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। बोली शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक State Institute of Health & Family Welfare के नाम देय होगा।
6. बोली डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा:-
 - (अ) बोली प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 23.07.2025 समय सांय 04:00 बजे से 01.08.2025 दोपहर 01.00 बजे तक होगी।
 - (ब) बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> दिनांक 23.07.2025 सांय 4 बजे से दिनांक 01.08.2025 दोपहर 01.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त बोलियों की तकनीकी बिड इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन दिनांक 01.08.2025 को दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी।
 - (स) बोली शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 01.08.2025 दोपहर 01:00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
 - (द) दिनांक 23.07.2025 सांय 4 बजे से दिनांक 01.08.2025 दोपहर 01:00 बजे तक बोली प्रपत्र को वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र में बोलीदाता के

लिये योग्यता सूचना तथा बोलीदाता की पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

7. बोली की वैधता खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक बोली स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि बोलीकर्ता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. बोलीदाता प्रपत्रों को download कर सकते हैं। बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एवं टेण्डर प्रक्रिया शुल्क रु 1000 प्रत्येक के लिये अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथी तक जमा कराना आवश्यक है।
9. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक SIHFW जयपुर के पास सुरक्षित है।
10. ई-टेण्डरिंग के लिये बोलीदाता हेतु निर्देश:-

(अ) बोली में दिलचस्पी लेने वाले बोलीदाता बोली प्रपत्रों को वेबसाइट 'http://www.eproc.rajasthan.gov.in' से डाउनलोड (download) कर सकते हैं।

(ब) बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट 'http://www.eproc.rajasthan.gov.in' पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

(य) कोई भी बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। बोली जमा करने की अन्तिम तिथि व समय के उपरान्त जमा किये गये दस्तावेजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

- (र) बोली प्रपत्र में आवश्यक सभी प्रपत्रों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
- (ल) ऑन लाइन बोलियाँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
11. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्रों के साथ बोली शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से बोली शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में जमा कराना होगा।
 12. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राफ्ट को एक से अधिक बोली में अपलोड करना पाया गया तो बोली दाता को इन सभी बोलियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
 13. यदि किसी कारणवश बोली खोलने के दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर बोलियाँ खोली जाएंगी। जो बोली दाता तकनीकी बिड में क्वालीफाई करेंगे उनकी वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई-मेल से दी जावेगी। बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
 14. भौतिक रूप से जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं पोर्टल पर डिजिटली अपलोड किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसे पुनः आवेदन करके उसे दुरुस्त किया जाना निर्धारित समय सीमा में सम्भव नहीं हो पायेगा तो तदनुसार बोली को अमान्य करने का निर्णय लिया जा सकता है। भौतिक रूप से संशोधित प्रपत्र जमा करवाये जाने पर बोली का भाग माना जाना सम्भव नहीं हो पायेगा एवं तदनुसार बोली को अमान्य माने जाने के लिये बोली दाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
 15. प्रतिभूति राशि नियमानुसार कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत होगी।
 16. वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय बोली भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों एवं दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के अनुरूप हों। कार्यादेश देने के बाद में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जावेगा एवं गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर कैंटीन संचालक के साथ किया गया करार समाप्त कर प्रतिभूति राशि (परफॉर्मैन्स सिक्क्योरिटी) जब्त कर ली जावेगी।
 17. बोलीदाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा संपर्क किया जा सकें। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम

- व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे आवश्यक होने पर इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके।
18. समस्त दरें, कर आदि (यदि कोई हो तो) सम्मिलित करते हुये होगी एवं जी.एस.टी. की दरें व राशि, बिल में पृथक रूप से अंकित करनी होगी। बोली में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। अनुबन्ध अवधि में दरों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी।
 19. बोलीदाता जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत बोलीदाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि संस्थान को किन्हीं परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली बोलीदाता से की जावेगी।
 20. बोलीदाता फर्म का आज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य में अयोग्य नहीं पाई गई है अथवा कार्य असंतोषजनक होने के कारण पूर्व में अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त नहीं की गई है।
 21. बोलीदाता फर्म किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
 22. बोलीदाता फर्म के विगत 3 वर्षों में निदेशक व अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण अयोग्य किये गये हैं।
 23. बोलीदाता फर्म के कार्मिक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अथवा सजायाफ्ता नहीं रहे हैं।
 24. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/आज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है तथा मेरे/हमारी फर्म/कंपनी के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई है/प्रक्रियाधीन नहीं है।
 25. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते हैं तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वंचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी की गई बोलियों में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।
 26. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
 27. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

28. बोली दाता को प्रपत्र बिना काट-छांट के अपलोड करना चाहिये। अतिआवश्यक होने पर बोली प्रपत्र में प्रत्येक काट-छांट पर बोली दाता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
29. बोली स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त बोली कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (अद्योहस्ताक्षरकर्ता) को होगा।
30. बोलीदाता के द्वारा करार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
31. बोलीदाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने इस बोली की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तें विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं।
32. संस्थान न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
33. बोलीदाता द्वारा करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्नानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डाक्यूमेंट।
 - कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - जी.एस.टी पंजीकरण एवं पैन नंबर अनिवार्य होगा है।
 - नगर निगम जयपुर या अन्य सक्षम अधिकारी/सरकारी कार्यालय/संस्था द्वारा जारी फूड लाईसेन्स की वैध प्रति अनिवार्य है।
 - फर्म द्वारा जी.एस.टी नियमानुसार जमा कराया गया होना अनिवार्य है जिसकी एक वर्ष की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जी.एस.टी जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में बोली तकनीकी रूप से अमान्य समझी जावेगी।
 - गत 3 वर्षों का औसत न्यूनतम टर्नओवर रुपये 80.00 लाख होना अनिवार्य है एवं टर्नओवर इसी व्यवसाय से सम्बन्धित होना चाहिये। बोली दाता को गत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट एवं लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। टर्न-ओवर प्रमाण पत्र सनदी लेखाकार (CA) से प्रमाणित होगा एवं प्रमाण पत्र CA के UDIN नम्बर अंकित होना अनिवार्य होगा।
34. बोलीदाता अनुबन्ध को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
35. बोलीदाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी।

9

36. यदि बोली के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा बोली को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना बोलीदाता का दायित्व होगा।
37. तकनीकी बोली को अक्षरशः पूरा करना अनिवार्य होगा।
38. सम्पूर्ण बोली पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP ACT 2012), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP Rules 2013) एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) की धाराएं एवं नियम प्रभावी रहेंगे एवं अनुबन्धक के लिए बाध्यकारी होंगे।

निदेशक

तकनीकी बोली

संलग्नक "A"

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

मैं/हम (बोलीदाता का नाम), कार्यालय
 बोलीदाता का पता घोषणा करते हैं कि
 मैंने/हमने, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा बोली में दिये गये सभी शर्तें एवं
 नियम पढ़ लिये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तों, नियमों व नीचे दिये गये ग्रेडिंग/मेरिट सिस्टम का पालन करने
 हेतु सहमत हैं।
 मैं/हम होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी/केटरिंग सेवा प्रदाता/केन्टीन/मैस संचालक के रूप में बोली में भाग लेने
 हेतु सहमत है।
 मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने कि घोषणा करते हैं।
 मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरें राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं
 की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र.सं.	विवरण.	संलग्न हों/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	अमानत राशि रु. 140000/- बैकर्स चैक/ड्राफ्ट अनिवार्य		
2.	हस्ताक्षरित मूल बोली फार्म मय संलग्नक "A से H तक" अनिवार्य		
3.	वैध फूड लाइसेंस की प्रति अनिवार्य		
4.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
5.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
6.	वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की आयकर विवरणी की सी.ए. फर्म द्वारा UDIN नम्बर सहित सत्यापित प्रति अनिवार्य		
7.	वर्ष 2024-25 एवं जून 2025 की जी.एस.टी. जमा विवरणी की सी. ए.फर्म द्वारा UDIN नम्बर सहित सत्यापित प्रति अनिवार्य		
8.	सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्पोरेट संस्थान में मैस /केन्टीन संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का संतोषजनक कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न "D") अनिवार्य		
9.	टर्नओवर विवरण (संलग्नक "E") तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर (इसी समबन्धित व्यवसाय से) 80.00 लाख रु प्रतिवर्ष (अस्सी लाख) UDIN नम्बर सहित होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न		

94



	करना होगा। अनिवार्य		
10.	बोलीदाता फर्म किसी सरकारी संस्थान/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नहीं है। इसका शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "G") अनिवार्य		
11.	स्वामित्व प्रमाण पत्र/घोषणा इसका शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "H") अनिवार्य		
12.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./अन्य समकक्ष) (यदि हो तो)		
13.	किसी भी संस्थान (सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्पोरेट) में मैस /केन्टीन संचालन हेतु प्राप्त प्रशस्ति पत्रों की प्रति (यदि हो तो)		

नोट:- उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूँढा जा सके।

a~



तकनीकी बोली

संलग्नक " B "

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर-302004

फोन न. 2706534, Email ID- sihfwrj@ymail.com

कार्यालय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन परिसर में केन्टीन संचालन करने

हेतु

बोली फार्म

1.	बोलीदाता फर्म/संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाष: कार्यालय..... निवास..... मोबाईल..... ई-मेल.....	
4.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी या पंजीकृत संस्था (संलग्नक H)	
5.	फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता	
6.	(अ) बोली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	नाम— पता—
	(ब) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये हैं?	मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव
	(स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है?	हाँ/नहीं ?



7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	नाम मो.नं. दूरभाष नं. पता—
8.	संलग्न अमानत राशि का विवरण	जमा करा दी गई है/नहीं कराई है। जमा कराने का माध्यम:— बैंकर चैक सं.....

उपर्युक्त जानकारीयाँ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियाँ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय स्टाम्प

नाम व पता मय दूरभाष नं.



तकनीकी बोली

संलग्नक "C"

संस्थान परिसर में केन्टीन सेवा प्रदान करने हेतु बोली व संविदा की शर्तें एवं नियम

1. सफल बोलीदाता को 1000 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. बोलीदाता को अनुबंध के 15 दिवस में संस्थान में केन्टीन संचालन हेतु नियमानुसार फूड लाइसेंस हेतु आवेदन कर लाइसेंस संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
3. भोजन बनाने हेतु वाणिज्य गैस सिलेन्डर की व्यवस्था बोलीदाता को ही करनी होगी।
4. बोलीदाता को खाना बनाने एवं परोसने के काम आने वाले बर्तन उपलब्ध नहीं करवाये जावेंगे। आवश्यकतानुसार बर्तन व्यवस्था बोलीदाता को अपने स्तर से करनी होगी एवं इस हेतु कोई अलग से चार्ज देय नहीं होगा। चाय, नाश्ता एवं खाना परोसने वाले बर्तन चीनी मिट्टी के अच्छी गुणवत्ता (ब्रांडेड कम्पनी के) वाले बोली फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जावेंगे/काम में लिये जावेंगे।
5. संस्थान प्लास्टिक मुक्त परिसर है। अतः संस्थान में भोजन, चाय आदि परोसने/खिलाने के लिए प्लास्टिक/डिस्पोजेबल उत्पादों का उपयोग में लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. बोलीदाता को केन्टीन परिसर के सफाई का कार्य अपने स्तर पर संपन्न करवाना होगा एवं केन्टीन परिसर में प्रतिदिन तीन बार सफाई करवानी होगी।
7. अल्पाहार, भोजन (लंच एवं डिनर) के दौरान व पश्चात् केन्टीन परिसर के दोनो डायनिंग हॉल की टेबिल, कुर्सी, फर्श आदि की सफाई का कार्य भी बोलीदाता द्वारा अपने स्तर (कार्मिकों) द्वारा कराया जायेगा।
8. अल्पाहार व भोजन के पश्चात् भरे हुए कचरा पात्रों को खाली करके राज्य.संस्कार/नगर निगम/प्रदुषण नियंत्रण मण्डल आदि के नियमानुसार संस्थान के बाहर निष्पादित करने की व्यवस्था बोलीदाता फर्म द्वारा ही कराई जायेगी।
9. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में लंच ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले लंच की व्यवस्था करनी होगी।
10. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में टी ब्रेक के समय से 15 मिनट पहले ही चाय आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर करनी होगी।
11. संस्थान के स्टाफ द्वारा चाहे जाने पर भोजन, चाय/कॉफी एवं नाश्ता देय होगा। स्टाफ को रियायती दर (अनुमोदित दर का 50 प्रतिशत) पर भोजन, चाय/कॉफी एवं नाश्ते की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर को करनी होगी।
12. निर्धारित अवधि में संस्थान की केन्टीन में ब्रेकफास्ट/हाई टी/लंच/टी/डिनर अथवा अनुबंध के अनुसार दिये गये कार्यादेश के अनुरूप व्यवस्था नहीं करने पर अनुबंधक की

9c

रिस्क एवं कोस्ट पर संस्थान द्वारा बाहर से उक्त की व्यवस्था की जा सकेगी तथा संस्थान को इस सम्बन्ध में यदि कोई हानि होती है, तो आर्थिक हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा एवं संस्थान बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता से वसूली करेगा।

13. केन्टीन में लगे हुये AC/freeze/Water Cooler/Water Purifier एवं अन्य सामान की निगरानी एवं खराब होने पर ठीक करवाने की जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की ही होगी।
14. भुगतान हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण बैच की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नियमानुसार कुल चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि का बिल तैयार कर संबन्धित प्रशिक्षण कोर्डिनेटर से सत्यापन करवाया जायेगा। सत्यापन एवं जांच पश्चात् बोली की शर्तानुसार सही होने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. करार की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, करार कर्ता को सही प्रारूप में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर संस्थान चैक के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।
16. अनुबन्धकर्ता को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में संस्थान द्वारा टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी जिसका संस्थान द्वारा आयकर (टीडीएस) जमा का फार्म (16 ए) दिया जायेगा।
17. अनुबन्धकर्ता को देय भुगतान में से जी.एस.टी. के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर के रूप में संस्थान द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।
18. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
19. बिल में जी.एस.टी. प्रचलित दर अंकित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
20. निर्देशानुसार कार्य सम्पादित नहीं करने पर या किसी प्रकार असफल रहने पर किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अन्य स्रोतों से पूर्ति करने के कारण संस्थान को हुई आर्थिक क्षति के लिये बोलीदाता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
21. करार कर्ता स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा संस्थान की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुंचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति बोलीदाता से की जावेगी।
22. यदि करार कर्ता के कार्य से संस्थान के किसी अनुभाग से कोई भी शिकायत आने व सही पाये जाने पर करार कर्ता के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी।
23. उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा, और ना ही इस कार्यालय का किसी प्रकार का कोई दायित्व/जिम्मेदारी होगी। इस बाबत समस्त जिम्मेदारी करार कर्ता की ही होगी।

24. संस्थान द्वारा गठित एक कमेटी कार्यादेश से पूर्व भोजन की गुणवत्ता व स्वाद का जायजा ले सकती है। केवल गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही सफलतम बोलीदाता को कार्यादेश दिया जावेगा।
25. दरों में समान लाने ले जाने एवं कार्य स्थल पर हैण्डलिंग की दर भी सम्मिलित है। समान/वस्तुओं की टूट फूट या गुम हो जाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
26. प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि यथासंभव एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी। संस्थान के द्वारा सूचित किये जाने की संख्या अनुसार सुबह की चाय/नाश्ता/लंच/डिनर मेनू अनुसार उपलब्ध कराना होगा। समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकने अथवा गुणवत्ता सही नहीं होने की स्थिति में उस दिन से सम्बन्धित कार्यादेश के विरुद्ध भुगतान में अनुबन्ध की शर्तानुसार कटौती की जावेगी। प्रशिक्षण के प्रथम दिन के प्रतिभागियों के चाय, नाश्ता व लंच का भुगतान कार्यादेश अथवा उपस्थित संभागियों की संख्या (जो भी अधिक हो के अनुसार किया जायेगा)।
27. केन्टीन संचालक द्वारा दोनो डाईनिंग हॉल में ब्रेक फास्ट/हाई-टी/लंच/डीनर/टी की व्यवस्था सुचारु रखनी आवश्यक होगी।
28. संस्थान द्वारा जब कभी-भी एक, दो अथवा संस्थान में रह रहे मेहमानों की संख्या के अनुसार भोजन व्यवस्था हेतु आदेश दिया जावेगा तो करार कर्ता द्वारा निर्देशानुसार चाय व नाश्ता, भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
29. अपरिहार्य एवं प्रशासनिक कारणों से निर्धारित कार्यक्रम परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है जिसकी कोई क्षतिपूर्ति संस्थान द्वारा नहीं की जावेगी।
30. बोलीदाता को संस्थान में खाना बनाने के कच्चे सामान में Fortified सामान का उपयोग करना होगा।
31. भोजन के निर्माण में FSSAI मार्का उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का ही उपयोग किया जावेगा।
32. भोजन बनाने हेतु कच्ची सामग्री FSSAI के मापदंड के अनुरूप स्टोर किया जावेगा।
33. खाने के उपयोग में लिया जाने वाला खाद्य तेल ब्रांडेड मूंगफली/सरसों व देशी घी का होगा। तथा मसाले बेसन, चावल, पोहे एवं अन्य खाद्य सामग्री एगमार्का FSSAI मार्का की होगी।
34. भोजन गर्म एवं ताजा होना आवश्यक है। भोजन व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में पुनः उपयोग लिया जाना वर्जित होगा।
35. प्रदाय भोजन की सामग्री सम्पूर्णतः बोली विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी।
36. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा प्रयुक्त खाद्य सामग्री व किचन की जाँच/निरीक्षण हेतु यह संस्थान स्वतंत्र होगा।

37. निदेशक द्वारा गठित समिति/प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कच्ची भोजन सामग्री/तैयार भोजन का निरीक्षण समय-समय पर किया जा सकेगा।
38. यदि समिति/प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा व्यवस्था/कच्ची सामग्री/तैयार भोजन में तीन बार से अधिक निर्धारित मीनू के अनुसार नहीं होने पर एवं गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत की जाती है तो प्रति शिकायत संबंधित दिवस के बिल से 10 प्रतिशत कटौती की जावेगी।
39. प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों से केन्टीन के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जावेगा जिसके संबंध में उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं एवं भोजन के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रत्येक त्रैमास में 3 बार से अधिक बार 25 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक नहीं अंकित किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार प्रत्येक संबंधित बिल में शास्ती आरोपित की जावेगी:—
 - व्यवस्था संतोषजनक न होने पर:— 25 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक में असंतोषजनक/खराब अंकित किये जाने पर बिल राशि में से जितने प्रतिशत प्रतिभागियों द्वारा असंतोषजनक/खराब अंकित किया गया है उनके आधे अनुपात में कटौती की जावेगी। उदाहरणार्थ यदि 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों ने व्यवस्था असंतोषजनक/खराब अंकित की है तो 15 प्रतिशत राशि संबंधित बिल में से काटी जावेगी।
 - भोजन/नाश्ता/हाई-टी/टी संतोषजनक न होने पर:— 25 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक में असंतोषजनक/खराब अंकित किये जाने पर बिल राशि में से जितने प्रतिशत प्रतिभागियों द्वारा असंतोषजनक/खराब अंकित किया गया है उनके समान अनुपात में कटौती की जावेगी। उदाहरणार्थ यदि 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों ने व्यवस्था असंतोषजनक/खराब अंकित की है तो 30 प्रतिशत राशि संबंधित बिल में से काटी जावेगी।
40. बिन्दु संख्या 38 व 39 की कार्यवाही के उपरान्त भी व्यवस्थाओं/कच्ची सामग्री/तैयार भोजन में सुधार नहीं किया जाता है तो 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
41. संस्थान को अनुबंधकर्ता के भोजन की गुणवत्ता की जांच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/खाद्य विभाग/नगर-निगम/प्रतिनिधि एजेन्सी से करवाया जाने का अधिकार होगा। मिलावट/खराबी पाये जाने पर संबंधित एजेन्सी अनुबन्धकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

42. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (जब्त) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत (जब्त) किया जा सकेगा।
- जब अनुबन्ध की किन्ही शर्तों का उल्लघन किया गया हो।
 - जब अनुबन्धकर्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
43. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक SIHFW Rajasthan Jaipur का निर्णय अंतिम होगा।
44. केंटीन संचालन हेतु बोली प्रदाता निम्नानुसार न्यूनतम कार्मिक रखेगा, जिनका नाम, पता मय फोटोग्राफ एवं कार्य का विवरण संस्थान में कार्य प्रारम्भ करते ही उपलब्ध करवायेगा, यदि कार्मिक में बदलाव किया जाता है तो तत्काल संस्थान में सूचना उपलब्ध करवायी जावेगी।
- कुक (2 न्यूनतम)
 - हेल्पर (3 न्यूनतम)
 - वेटर (4 न्यूनतम)
45. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक को यूनिफार्म में होना आवश्यक है।
46. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन संस्थान में उपलब्ध कराना होगा एवं सभी कार्मिकों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं आवश्यक टीकाकारण का विवरण मय प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्मिक में बदलाव किया जाता है तो तत्काल पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं आवश्यक टीकाकारण का विवरण मय प्रमाण भी संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।
47. सफल बोली दाता (अनुबन्धकर्ता) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का नियमानुसार पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत सफल बोली दाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली सफल बोली दाता से ही की जावेगी।
48. अनुबन्धकर्ता/उसके कार्मिक को कार्य के दौरान कोई शारीरिक क्षति या अन्य कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी बोली दाता की होगी। इसमें संस्थान प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
49. अनुबन्धकर्ता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम विभाग के नवीनतम नियमों की पालना करनी होगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

50. अनुबन्धकर्ता द्वारा कैन्टीन कार्य में लगाये गये कार्मिकों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं किये गये भुगतान के क्रम में एक प्रमाण पत्र बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी एवं ई.पी.एफ. (20 या अधिक कार्मिक होने पर), ई.एस.आई (10 या अधिक कार्मिक होने पर) का भुगतान नियमानुसार किया गया है तथा कम मजदूरी भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त करने का निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा।
51. भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती प्रचलित नियम अनुसार की जायेगी। पेन नम्बर, जी.एस.टी. नम्बर लिखना अनिवार्य है, इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित पत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें।
52. करार कर्ता एवं उसके कार्मिक प्रशिक्षणार्थियों, संस्थान के समस्त अधिकारियों व कार्मिकों से शिष्ट व्यवहार करने को बाध्य होंगे।
53. करार कर्ता द्वारा अपने कार्मिकों के रहने की सुविधा स्वयं स्तर से करनी होगी। संस्थान द्वारा कार्मिकों के रहवास की पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जावेगी।
54. संस्थान परिसर में अवांछित/गैरकानूनी गतिविधियाँ पूर्णतया वर्जित होगी। अनुबन्धकर्ता अथवा उसके कार्मिकों द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने पर संस्थान द्वारा करार निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
55. अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर से अन्य संस्थान/बाहरी व्यक्तियों को संस्थान परिसर में भोजन/नाश्ता आदि कराना एवं संस्थान परिसर में अन्य संस्थान/बाहरी व्यक्तियों के लिये भोजन/ नाश्ता आदि तैयार कर बाहर ले जाना पूर्णतया वर्जित होगा।
56. अनुबन्धकर्ता द्वारा भोजन आदि की आपूर्ति के फलस्वरूप यदि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण से किसी प्रशिक्षणार्थी के स्वास्थ्य को कोई हानि होती है तो उसके लिये बोलीदाता पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।
57. यह बोली वार्षिक दर अनुबन्ध के लिये ही है। आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार बढ़ोतरी की जा सकती है।
58. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के पश्चात् किया जायेगा।
59. करार व प्रतिभूति निक्षेप:- सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रुपये 1000 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी।

60. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम, कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है तो लौटायी जा सकती है।
61. प्रतिभूति राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
62. आवश्यकता होने पर स्वयं की लागत पर प्रशिक्षणार्थियों/कर्मचारियों को पीने के लिए कैम्पर्स मंगवाये जाने एवं मंगवाये गये पानी के कैम्पर्स को वाटर कूलरों में खाली करवाने का कार्य भी बोलीदाता द्वारा अपने स्तर (स्त्रोत) से करवाना होगा।
63. अनुबंधकर्ता से आवश्यकतानुसार आउट साईड कैटरिंग (संस्थान से बाहर) जयपुर शहर में कहीं भी निम्नानुसार करवाई जा सकती है।
 - आउट साईड कैटरिंग (नाश्ता/लंच/डिनर/हाई-टी/चाय कॉफी) की व्यवस्था संस्थान के आदेशानुसार बोलीदाता को उपलब्ध करानी होगी।
 - आउट साईड कैटरिंग करने हेतु संस्थान में उपलब्ध सामान के अलावा किसी सामान (टेंट का सामान(सभी), भोजन बनाने के बर्तन, भोजन परोसने के बर्तन, भोजन खाने के बर्तन, कर्मचारी, पानी, सामान का किराया-भाड़ा इत्यादि) की आवश्यकता होती है तो उसका वहन भी बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
 - आउट साईड कैटरिंग हेतु भोजन की दरें एवं आउट साईड कैटरिंग हेतु प्रतिशत मूल्य के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान संस्थान द्वारा बोलीदाता को नहीं किया जावेगा।
 - आउट साईड कैटरिंग करने में असमर्थता प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता से उस कार्यक्रम/प्रयोजन की पूर्ण राशि दण्डस्वरूप ली जावेगी एवं करार भी निरस्त किया जा सकता है।
 - संस्थान परिसर के बाहर आवश्यकतानुसार लंच/नाश्ता पैकेट भी उपलब्ध करवाने होंगे एवं नियत स्थान पर नियत समय पर पहुँचाने होंगे।
64. अनुबंधकर्ता द्वारा संस्थान में रुपये 21,500.00 (रुपये इक्कीस हजार पांच सौ) प्रति माह केन्टीन किराये के स्वरूप जमा कराये जावेंगे। किराया राशि जमा नहीं करवाये जाने पर इसकी कटौती सम्बन्धित माह के बिल से संस्थान द्वारा कर ली जावेगी।
65. संस्थान की रसोई में पृथक रूप से बिजली का मीटर लगा है, उसका बिजली की यूनिट के अनुसार करार कर्ता से भुगतान प्राप्त किया जावेगा। करार कर्ता अथवा उसके कार्मिकों द्वारा दोनो डायनिंग हॉल को अन्य कार्यों के लिये व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
66. न्यूनतम बोली का निर्धारण बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में लंच, डिनर, हाईटी, ब्रेक फास्ट टी/कॉफी की दरों के योग के आधार पर किया जावेगा।
67. करार के समय करार कर्ता को खाने का मीनू उपलब्ध करावाया जावेगा। साप्ताहिक खाने के मीनू के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर,



68. विवादास्पद स्थिति होने पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को बोली शर्तों के अनुसार निर्णय कर आवश्यक कटौती, भुगतान ना करने व वसूली करने का अधिकार रहेगा। विवाद की स्थिति में निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
69. यदि सफल अनुबन्धकर्ता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों (आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा किया जायेगा।
70. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार, सरकार, या करार कर्ता द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जायेगी।
71. सम्पूर्ण बोली पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP ACT 2012), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP Rules 2013) एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) की धाराएं एवं नियम प्रभावी रहेंगे एवं अनुबन्धक के लिए बाध्यकारी होंगे।
72. समस्त विवादों/विधिक कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय पूर्ण नाम एवं मोहर

डाक पता निवास स्थान एवं कार्यालय

.....

.....

मोबाईल न.

फोन न.

तकनीकी बोली प्रपत्र

संलग्नक "D"

सरकारी/अर्द्धसरकारी/कॉर्पोरेट संस्थान में मैस/कैन्टीन संचालन का संतोषजनक कार्यानुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 3 वर्ष)

[illegible]



केन्द्रीय टेण्डर

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

तकनीकी बोली प्रपत्र

संलग्नक "E"

(फर्म के लेटर हैड पर)

वार्षिक टर्नओवर विवरण

औसत सकल वार्षिक टर्नओवर मैसर्स

पता गत तीन वर्षों के नीचे दिये गये

वित्तीय विवरण सही और सत्य है, जो कि सत्यापन हेतु प्रस्तुत है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर (लाख में) रुपये
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपयें लाख में

टर्नओवर तीन वर्ष का औसत सकल (इसी कार्य/व्यवसाय से सम्बन्धित) वार्षिक टर्नओवर रुपये 80.00 लाख प्रतिवर्ष (रू अस्सी लाख) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

नाम:

पता:

UDIN नम्बर:

मोबाइल नम्बर:

बोलीदाता के हस्ताक्षर

तकनीकी बोली
भोजन मीनू की सूची

संलग्नक "F"

Break fast	1. चाय एवं कॉफी 2. दूध-कार्न फलेक्स, 3. ब्रेड-बटर 4. निम्न में से कोई भी एक OPTION प्रति दिन उपलब्ध हो। भरवा परांठा-(आलू/गोभी/प्याज/पनीर, दही, आचार सॉस सहित), मसाला पोहा, सांभर-इडली, फ्राईड इडली, मेंदू वड़ा आलू की सब्जी-पूड़ी, उपमा
High Tea/ Packed High Tea	1. चाय व कॉफी 2. कोई भी एक मिठाई (बंगाली स्वीट/केसर बर्फी/गुलाब जामुन/इमरती/रसगुल्ला) 3. खमण/आलू बोंडा/वेज सेंडवीच/समोसा/कचौरी/पेटीज/ब्रेड पकोडा (कोई भी एक)
Lunch/Dinner	1. टमाटर सूप/स्वीट कॉर्न सूप/वेजीटेबल सूप/कैरी पन्ना/जलजीरा 2. तवा चपाती बटर में 3. दाल मखानी/अरहर दाल/मूंग दाल/राजमा/धूली उडद दाल/छोले/कड़ी पकौडा 4. मौसमी सब्जी:- मेथी आलू/आलू पालक/आलू फूल गाभी/आलू बैंगन/मटर मंगोडी/मिक्स वेजीटेबल/आलू शिमला मिर्च/स्टफ टमेटो/जीरा आलू/लोकी कोफता/बैंगन भरता/भिन्डी मसाला/गाजर मैथी 5. मलाई कोफता/कढ़ाई पनीर/शाही पनीर/गट्टा मसाला/पालक पनीर/पनीर लबाबदार/पनीर कोरमा/हांडी पनीर 6. बूंदी का रायता/पाईनेपल रायता/वेजीटेबल रायता/लौकी/खीरा रायता/जीरा पुदीना रायता/दही 7. जीरा राईस/वेजीटेबल पुलाव/प्लेन राईस/मटर पुलाव 8. पोला पापड/सादा पापड 9. खीर/हलवा (मूंग की दाल/गाजर)/गुलाब जामुन/राजभोग/मालपुआ/रसगुल्ला/नारियल की बर्फी/(कोई भी 1 नग) 10. सलाद-सिरका प्याज, मिर्च, नींबू, खीरा/ककड़ी, टमाटर, चटनी, अचार 11. सॉफ सुपारी एवं क्रिस्टल चीनी
Tea/Coffee	चाय व कॉफी बिस्कुट (मैरीगोल्ड/क्रेकजेक/मोनेको/50-50)(समकक्ष)
बोलीदाता को उपरोक्त दिये गये मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाना होगा एवं साप्ताहिक सब्जी की पुनरावर्ती नहीं की जावेगी एवं मेन्यू के अलावा भी आवश्यकतानुसार भोजन के लिए आदेश दिया जा सकता है।	
Packed Lunch/ Dinner	प्रत्येक सब्जी,दाल,पुलाव,रायता, मिठाई के (अलग-अलग कंटेनर में रखें जायेगे) 1. चपाती-तवा/परांठा 2. चावल/पुलाव बासमती, 3. दो सब्जियां जिसमें से एक पनीर की व एक मौसमी सब्जी 4. दाल, 5. रायता/दही,

	6. मिठाई 50 ग्राम (एक नग) 7. अचार चटनी, निम्बू (थैली अथवा पाउच में) 8. सलाद -खीरा, ककडी, प्याज टमाटर, गाजर मूली
Special Veg Lunch/ Dinner	1. स्टार्टर -हरा भरा कबाब/पनीक टिक्का/स्प्रिंग रोल/फ्राईड बेबीकोर्न 2. टमाटर सूप/स्वीट कोर्न सूप/वेजीटेबल सूप 3. चपाती (लच्छा पराठा/तवा/तंदूरी/मिस्सी/रुमाली/बेजड/मसाला) कोई सी दो प्रकार की 4. काजू पुलाव/कशमीरी पुलाव/वेज बिरयानी कोई एक 5. मौसमी सब्जी:- मेथी आलू/आलू पालक/आलू फूल गाभी/आलू बैंगन/मटर मंगोडी/मिक्स वेजीटेबल/आलू शिमला मिर्च/ स्टफ टमेटो/दम आलू/लोकी कोफता/बैंगन भरता 6. कढ़ाई पनीर/शाही पनीर/गट्टा मसाला/पालक पनीर/पनीर लबाबदार/पनीर कोरमा/हांडी पनीर 7. मलाई कोफता/मखमली कोफता/मैथी मटर मलाई/मटर मशरूम/बेबी-कोर्न पालक/नवरत्न कोरमा/कशमीरी दम आलू 8. दालमखानी/दालफ्राई/दाल तडका कोई एक 9. रायता - दही-बडा चटनी/मिक्स फ्रुट क्रीम/पाईनएप्पल रायता कोई एक 10. मिठाई (नारियल की बर्फी/खीर/हलवा (मूंग की दाल/गाजर)/गुलाब जामुन/राजभोग/मालपुआ/फ्रुट कस्टर्ड/रसमलाई (कोई भी 1 नग) 11. आइसक्रीम (बटर स्कोच/काजू-पिस्ता/अमेरिकन नट/चोकलेट) (वाडीलाल/अमूल/हैवमोर/मदर डेयरी) 11. अचार, चटनी, व पापड 12. फ्रुट सलाद (अमरुद, सेव, पपीता, अंगूर,केला, आदि) 13. सलाद -खीरा, ककडी, प्याज टमाटर, गाजर मूली, हरी मिर्च, सिरका प्याज 14. सौंफ सुपारी मिश्री
Budgeted Lunch/ Dinner	1. चपाती 2. अरहर दाल/मूंग दाल/धूली उडद दाल 3. मौसमी सब्जी मेथी आलू/आलू पालक/आलू फूल गाभी/आलू बैंगन/मटर मंगोडी/मिक्स वेजीटेबल/आलू शिमला मिर्च 4. बूंदी का रायता/वेजीटेबल रायता 5. जीरा राईस/प्लेन राईस सलाद-सिरका प्याज, मिर्च, नींबू, खीरा/ककडी, टमाटर, चटनी, अचार
Special Rajasthani	1. दाल 2. बेसन गट्टा/कढी 3. बाटी:- सादा व मसाला 4. चूरमा:- गेहू व बेसन 5. मिर्ची के टिपोरे 6. चावल 7. पापड व नींबू

1. भोजन एवं हाई-टी के साथ मिठाई का पीस न्यूनतम 50-60 ग्राम को होना आवश्यक होगा।



2. फल एवं सब्जी ताजा व अच्छी किस्म की, पनीर ताजा एवं शुद्ध प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।
3. दूध, दही ताजा एवं प्रतिष्ठित डेयरी के प्रयुक्त करने होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम.....
पता निवास स्थान एवं कार्यालय

मोबाईल न.
फोन न.



तकनीकी बोली प्रपत्र

संलग्नक "G "

स्वः घोषणा प्रमाण पत्र

(50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कम्पनी) द्वारा प्रमाणित किय जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओं से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं कि गई है इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी /हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी /हमारी संस्था जिम्मेदार होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

बोलीदाता का नाम

दिनांक

स्थान



तकनीकी बोली प्रपत्र
स्वामित्व प्रमाण पत्र/घोषणा

संलग्नक "H "

(50 रु के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम..... मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मैसर्स
.....एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के
एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित
.....(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते हैं:-

1. कि मैं मैसर्सका एक मात्र मालिक हूँ

अथवा

कि हमारी मैसर्ससाझेदारी फर्म है जिसके
तहत साझेदारों के पूरा नाम निम्न है/

(अ)

(ब).....

(स).....

(द).....

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानों के
अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी
विलेख/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन और एसोसिएशन का प्रलेख
प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशकों
में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्सआज दिनांक में
प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य में

4c

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अयोग्य नहीं पाई गई है अथवा कार्य असंतोषजनक होने के कारण पूर्व में मेरा/हमारा अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त नहीं की गई है।

3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और नहीं किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण अयोग्य किये गये हैं।
5. मेरे कार्मिक भी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सजायाफ्ता नहीं है/लिप्त नहीं रहे हैं।
6. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्सआज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है तथा मेरे/हमारी फर्म/कम्पनी मैसर्स.....के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई है/प्रक्रियाधीन नहीं है।
7. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते हैं तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई बोलीओं में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नहीं होंगे
8. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ शपथ लेता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी



सत्यापन हेतु.....पर.....दिये गये अनुच्छेद 1 से
8 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नहीं हैं तथा ना ही कुछ
छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर



वित्तीय बिड (BOQ)
कैंटीन संचालन कार्य हेतु दर संविदा

संलग्नक "I"

Format of BoQ to be filled electronically as financial bid and
uploaded on e-proc

क्र.सं.	आईटम	दरें	जी.एस.टी	कुल
1	Break fast			
2	High Tea			
3	Lunch			
4	Dinner			
5	Tea/Coffee			
6	Packed High Tea			
7	Packed Lunch			
8	Packed Dinner			
9	Special Veg Lunch/ Dinner			
10	Budgeted Lunch/ Dinner			
11	Special Rajasthani			
क्र.सं.	आईटम (आउट साईड कैटरिंग)	दरें प्रतिशत में		
12	आउट साईड कैटरिंग में जयपुर शहर में संस्थान परिसर के बाहर उपरोक्त Break fast, High Tea, Lunch, Dinner, Tea/Coffee, Special Veg Lunch/ Dinner, Budgeted Lunch/ Dinner/Special Rajasthani उपलब्ध कराने के लिए दरों में वृद्धि की मात्रा का प्रतिशत			

The rate should be filled in financial bid (BOQ) in figure & words in each column separately
through <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>

90
32

बोलीदाता के हस्ताक्षर.